

समाप्त  
18.2.17

# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर मेदिनीनगर

बिबिध वाद स.

24 वर्ष 2017

दफा 107 द0 प्र0 स0

उदय साव + 4 वनाम सदाम अंसारी + 3

मैं थाना प्रभारी, पडवा  
के प्रतिवेदन से सन्तुष्ट हूँ कि दोनों पक्षों के बीच मच्छली  
मारने को लेकर झगड़ा के  
कारण मेरे अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत शांति भंग होने की  
संभावना है।

अतः दोनों पक्षों के विरुद्ध दफा 107 द0 प्र0 स0  
की प्रक्रिया कायम की जाती है। दोनों पक्षों को आदेश दिया  
जाता है कि दिनांक ..... 18.2.17 को मेरे  
न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करे कि  
क्यों नहीं उन्हें एक वर्ष तक शांति बनाये रखने हेतु एक-एक  
हजार रुपया का बन्दपत्र दाखिल करने का आदेश दिया  
जाय।

(107)  
19.1.17

Harvey  
19/1/17  
अनुमण्डल पदाधिकारी  
सदर, मेदिनीनगर

18.2.17 = प्रथम पक्ष के बीच सरकार की हाजिरी  
पावर के साथ द्वितीय पक्ष के चार  
सरकार की हाजिरी पावर के साथ  
सरकार का आवेदन। उभय पक्षों को अपील  
अवगत कराया गया, बताया कि मुलमल के क्रिया  
बारा है। वाद की कार्यवाही समाप्त किया  
जाता है।  
18/02/17